महाराष्ट्र राज्य बनाम.

ए.

श्री विले पार्ले केलवानी मंडल और हमारा। (2021 की सिविल अपील संख्या 7319)

बी.

07 जनवरी, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और संजीव खन्ना**,** न्यायाधीशगण **]**

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016:धारा 3 (2) (iii)-शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाले धर्मार्थ संस्थानों की पात्रता के तहत बिजली शुल्क से छूट-आयोजितः2016 के अधिनियम के तहत, किसी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज या संस्थान, छात्रों, छात्रावासों के उद्देश्यों के लिए या उनके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा पर बिजली शुल्क को बिजली शुल्क से छूट दी जाएगी-राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी बिजली शुल्क के भुगतान से विशेष रूप से बाहर रखा गया है-हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली अधिनियम के भुगतान से छूट नहीं दी गई है-इसलिए, एस के तहत।3(2) 2016 के अधिनियम के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाले धर्मार्थ संस्थानों को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है, जिसे एस के तहत विशेष रूप से छूट दी गई थी।3(2)((iiia) 1958 के अधिनियम में प्रयुक्त भाषा और शब्द।3(2) वे स्पष्ट और सरल हैं और केवल एक निश्चित अर्थ में सक्षम हैं कि जहां तक धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों का संबंध है, 2016 के अधिनियम के तहत बिजली शुल्क लगाने से कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

सी.

डी.

ई.

विधियों की व्याख्याःजहां शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, वहां शाब्दिक दृष्टिकोण के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है-छूट के प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या करने की आवश्यकता है और जब छूट के प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा सरल, स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो इसे सख्ती से, सख्ती से और शाब्दिक रूप से लागू करना होगा-महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 -धारा 3 (2) (iii)।

एफ.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया कि **1. 2016** अधिनियम की धारा **16** के अनुसार, **2016** अधिनियम के लागू होने पर, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, **1958** को ए में उल्लिखित संभावनाओं के अधीन निरस्त कर दिया गया था।

एच.

160

161

महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री विले पार्ले केलवानी मंडल ए

2016 अधिनियम की धारा **16**। **2016** अधिनियम की धारा **3** की उप-धारा **(2)** के अनुसार बिजली शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने वाले विशिष्ट प्रावधानों को देखते हुए धारा **16** के परंतुक में उल्लिखित किसी भी घटना को आकर्षित नहीं किया जाएगा और/या मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए, आई. डी. **1** पर और उसके बाद बिजली शुल्क के भुगतान से छूट के उद्देश्य से, **2016** अधिनियम की धारा **3** की उप-धारा **(2)** लागू करनी होगी और लागू होगी।**[**पैरा **11.1] [178-**डी-ई**]**

बी.

2. 1958 के अधिनियम की धारा **3** की उप-धारा **(2)** के अनुसार, शैक्षणिक या तकनीकी विषयों **(**आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों को छोड़कर**)** में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज के उद्देश्य से या उनके संबंध में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, **1950** के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान द्वारा या उनके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा की खपत की इकाइयों पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता था।इसलिए, **1958** के अधिनियम के तहत, शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए धर्मार्थ संस्थानों द्वारा या उनके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा की इकाइयों पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता था।धारा **3 (2) (**आई. ए.**)** के अनुसार भी, किसी भी नगर निगम, नगरपालिका, नगरपालिका समिति, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, जिला परिषद या ग्राम पंचायत द्वारा या उसके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा की इकाइयों पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाएगा, जो शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, औषधालय, क्लिनिक, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक जल कार्य और सार्वजनिक सीवर या नालियों की प्रणाली **(**आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए

जाने वाले परिसरों को छोड़कर) के उद्देश्य से या उसके संबंध में राज्य में किसी भी कानून के तहत गठित किया गया है।हालाँकि, **2016** के अधिनियम के तहत भौतिक परिवर्तन हैं। **2016** अधिनियम की धारा **3 (2)** के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रम भी बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।धारा **3 (2) (iii)** के अनुसार, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज या संस्थान, छात्र, छात्रावास, अस्पताल, नर्सिंग होम के उद्देश्यों के लिए या उनके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा की खपत पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

डिस्पेंसरी, क्लीनिक, पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक वाटर वर्क्स, सीवरेज सिस्टम, सार्वजनिक उद्यान सहित चिड़ियाघर, सार्वजनिक संग्रहालय, प्रशासनिक कार्यालय, जो भी मामला हो, महाराष्ट्र राज्य में किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्रणाली का एक हिस्सा हैं।इसलिए, धारा **3 (2) (IIIA),** जो **1958** के अधिनियम में थी, अब **2016** के अधिनियम की धारा **3 (2)** में स्पष्ट रूप से और जानबूझकर अनुपस्थित है। **[**पैरा **11.2,11.3] [178-**ई**-**एच**; 1791-**ए**-**डी**]**

बी.

3. जहाँ शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, वहाँ शाब्दिक दृष्टिकोण के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है।छूट के प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या करने की आवश्यकता है और जब छूट के प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा सरल, स्पष्ट और स्पष्ट हो, तो इसे सख्ती से और शाब्दिक रूप से लागू किया जाना चाहिए।**2016** के अधिनियम के तहत, स्कूलों या कॉलेजों को चलाने वाले धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों को विशेष रूप से छूट खंड/छूट प्रावधान-धारा **3 (2)** से बाहर रखा गया है।**[**पैरा **11.4] [17-**जी**-**एच**; 180-**ए**]**

सी.

डी.

4. यदि मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ स्वीकार की जाती हैं कि धारा **3 (2) (iii)** के अनुसार**,** शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सभी स्कूलों/कॉलेजों या संस्थानों के संबंध में**,** बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता है**,** तो उस स्थिति में यह बेतुका परिणाम देगा।उस स्थिति में**,** निजी अस्पताल**,** नर्सिंग होम**,** औषधालय और क्लीनिक**,** जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं**,** भी बिजली शुल्क से छूट का दावा करेंगे।**2016** के अधिनियम की धारा **3 (2)** के अनुसार विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है कि बिजली शुल्क **(i)** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा खपत शुल्क या ऊर्जा की खपत पर**; (ii)** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा और **(iii)** महाराष्ट्र राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के तहत गठित स्थानीय निकायों द्वारा संचालित बिजली शुल्क नहीं लगाया जाएगा।राज्य सरकार**,** केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों और सरकारी छात्रावासों के अलावा बिजली शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं दी गई है।**[**पैरा **12] [180-**बी**-**डी**]**

ई.

एफ.

जी.

कॉम**.**सीमा शुल्क बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी **(2018) 9** एससीसी

1 :[2018] 7 एस**.** सी**.** आर**. 1191-**अनुसरण किया गया।

एच.

163

महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री विले पार्ले केलवानी मंडल ए

ए.

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और अन्र बनामगुजरात राज्य और अन्र.,

(2017) 8 एससीसी 357:[2017] 4 एस. सी. आर. 767; नोवोपैन इंडिया लिमिटेड बनाम.सी. सी. ई. और सीमा शुल्क, 1994 पूरक (3) एस. सी. सी. 606:

[1994] 3 पूरक।एससीआर **549;** हंसराज गोरधनदास बनाम एच**.** एच**.** दवे**,** केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर**,**

सूरत और अन्य, एआईआर 1970 एससी 755:[1969] एससीआर 253;

बी.

स्टार इंडस्ट्रीज बनाम कॉम**.**सीमा शुल्क **(**आयात**) (2016)**

2 एससीसी 362:[2015] 11 एस. सी. आर. 570; गिरिधर जी. यादलम

v. संपत्ति कर आयुक्त और एक अन्य **(2015) 17**

एससीसी 664:[2015] 15 एससीआर 543; गोदरेज और बॉयस एमएफजी।

कं. लिमिटेड बनाम।आयकर और अन्न के उपायुक्त,

(2017) 7 एससीसी 421:[2017] 3 एस. सी. आर. 602-पर निर्भर।

सी.

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी**,** भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल**, (2020) 5** एस**.** सी**.** सी**. 481:[2019] 16** एससीआर **424;** सी**.** डब्ल्यू**.** एस**. (**इंडिया**)** लिमिटेड बनामकमिश्नर

आयकर, 1994 का उपबंध (2) एस. सी. सी. 296:[1994] 2 एससीआर

247; बी**.** आर**.** उद्यम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। **(1999) 9**

डी.

एससीसी 700:[1999] 2 एस. सी. आर. 1111; बायराम पेस्टनजी गरीवाला

v. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य। **(1992) 1** एससीसी **31:[1991] 1** पूरक। एससीआर **187;** केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर**,** बॉम्बे**-I** और अन्न बनामपारले एक्सपोर्ट्स **(**पी**)** लिमिटेड**, (1989) 1**

एससीसी 345:[1988] 3 पूरक।एस. सी. आर. 933; भारत संघ

ई.

& ओआरएस**.** वी**.**वुड पेपर्स लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**. (1998) 4** एससीसी **256 -**

संदर्भित किया गया।

संदर्भित विधि निर्णय

[2018] 7 एससीआर **1191**

पीछा किया।

पैरा **4.7 [2019] 16** एस**.** सी**.** आर**. 424** पैरा **4.7 [2017] 4** एस**.** सी**.** आर**. 767** पैरा **4.7 [2015] 11** एस**.** सी**.** आर**. 570** पैरा **4.7 [2015] 15** एस**.** सी**.** आर**. 543** पैरा **4.7 [2017] 3** एस**.** सी**.** आर**. 602** पैरा **4.7 [1994] 2** एस**.** सी**.** आर**. 247** पैरा **6.2 [1999] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1111** पैरा**.**

एफ.

जी.

एच.

164 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

[1991] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 187** पैरा **6.5 [1969]** एस**.** सी**.** आर**. 253** को संदर्भित करता है।

संदर्भित किया गया है

पैरा **9.1**

[1988] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 933** पैरा **9.1 (1998) 4** एस**.** सी**.** सी**. 256** पैरा **9.1 [1994] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 549** पर निर्भर

बी.

पैरा **9.3**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील No.7319

2021.

2018 की रिट याचिका No.2961 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.02.2019 से।

सी.

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, एड.अपीलार्थी के लिए।

शेखर नाफडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, गगन गुप्ता, महेंद्र प्रताप, श्रीमती मनोरमा मोहंती, गौरव कुमार, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 2018 की लिखित याचिका में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं (जिन्हें इसके बाद मूल रिट याचिकाकर्ता-शिक्षा संस्थान के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए उत्तरदाता संख्या 1 से 10 तक की उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर

लिया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, महाराष्ट्र राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

एफ.

2. कि मूल रिट याचिकाकर्ता मूल रिट याचिकाकर्ता संख्या 1-श्री विले पार्ले केलवानी मंडल, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी और महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित और प्रबंधित शिक्षा संस्थान हैं।कि रिट याचिकाकर्ताओं ने संबंधित बिजली आपूर्ति कंपनियों से अपने शैक्षणिक संस्थानों को बिजली आपूर्ति के लिए बिजली कनेक्शन ले लिए हैं।कि 01.09.2016 से पहले, धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों को किसी स्कूल या कॉलेज या ए के उद्देश्यों के लिए या उसके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा खपत पर लगाए गए बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

जी.

एच.

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 की धारा 3 (2) (iii) के अनुसार शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान, छात्रों के छात्रावास, अस्पताल, नर्सिंग होम आदि।वर्ष 2018 में, संबंधित बिजली आपूर्ति कंपनियों ने उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के एक पत्र के अनुसार बिजली शुल्क लगाया, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र बिजली अधिनियम, 2016 के अनुसार, शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज के उद्देश्य से या उनके संबंध में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 (जिसे अब महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के रूप में जाना जाता है) के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान 1 सितंबर, 2016 से बिजली शुल्क छूट के हकदार नहीं हैं।संबंधित बिजली आपूर्ति कंपनियों ने 21 प्रतिशत पर बिजली शुल्क लगाया और मूल रिट याचिकाकर्ताओं और उनके शिक्षा संस्थानों पर आई. डी. 1 के बाद की अवधि के लिए बिलों को तदनुसार बढ़ाया गया।मूल रिट याचिकाकर्ता संख्या 1-प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संचालित शैक्षणिक धर्मार्थ संस्थानों पर बिजली शुल्क लगाने से व्यथित, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और रिट याचिकाकर्ताओं पर बिजली शुल्क लगाने को दरकिनार कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप बिजली शुल्क की खपत पर बिजली शुल्क लगाने वाले संबंधित बिजली बिलों को दरकिनार कर दिया है।

बी.

सी.

डी.

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, महाराष्ट्र राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

ई.

4. राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सचिन पाटिल ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि मूल रिट याचिकाकर्ता-धर्मार्थ शिक्षा संस्थान बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

एफ.

4.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक प्रावधानों को चुनौती देने के अभाव में, उच्च न्यायालय को रिट याचिका की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी और मूल रिट याचिकाकर्ताओं की तरह धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों से लगाए गए बिजली शुल्क को अलग नहीं करना चाहिए था।

जी.

4.2 राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सचिन पाटिल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत अधिनियम, 2016 से पहले और बाद के प्रासंगिक प्रावधानों की उचित रूप से सराहना नहीं की है और उन पर विचार नहीं किया है।

एच.

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 की धारा 3 (2) (ए) (IIIA) के अनुसार, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत धर्मार्थ अंतर्ज्ञान, स्कूल या कॉलेज के उद्देश्य से या उसके संबंध में, शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने (आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों के संबंध में छोड़कर) को खपत शुल्क या खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों पर बिजली शुल्क लगाने से छूट दी गई थी।हालाँकि, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 के अधिनियमन पर, जिसने पहले

के महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 को निरस्त कर दिया था, ऐसे धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों को बिजली शुल्क के लेवी/भुगतान से ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

बी.

सी.

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि नए अधिनियम, 2016 (महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016) में 1958 के निरस्त अधिनियम (महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958) के समान कोई प्रावधान नहीं है और 2016 के नए अधिनियम में आने से पहले या बाद में पंजीकृत धर्मार्थ शिक्षा संस्थान बिजली शुल्क के भुगतान से छूट के हकदार नहीं हैं।

डी.

4.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से सराहना या विचार नहीं किया है कि 1958 के निरस्त अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के आधार पर, धर्मार्थ शिक्षा संस्थान बिजली खपत शुल्क/बिजली खपत शुल्क के भुगतान से रियायत का आनंद ले रहे थे और इसलिए 1958 के निरस्त अधिनियम के तहत उनके पक्ष में एक विशिष्ट आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, यदि विभाग द्वारा किसी संस्थान के पक्ष में कोई आदेश जारी किया गया था, तो यह न तो निरस्त अधिनियम, 1958 के तहत विचार किया गया आदेश है और न ही इसे महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 4 के प्रावधान से बचाया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, 2016 के नए अधिनियम के प्रारंभ के बाद, ऐसा आदेश धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों को छूट का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बिजली शुल्क की छूट/लेवी के संबंध में 2016 के नए अधिनियम में उपयोग की गई भाषा बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपयोग किए गए शब्द सरल और सरल हैं और इसलिए उन्हें विधायिका के इरादे से पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से राजस्व के पक्ष में।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के संबंध में निर्धारित कानून के अनुसार एक कर कानून का अर्थ निर्धारिती के पक्ष में लगाया जाना है, लेकिन एक अपवाद या कर कानून से छूट के प्रावधान का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही इस संबंध में कोई अस्पष्टता हो, लेकिन इस मुद्दे का जवाब राजस्व के पक्ष में दिया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

4.7 उपरोक्त प्रस्तुतियों के समर्थन में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः-

कॉम.सीमा शुल्क बनाम दिलीप कुमार एंड कंपनी, (2018) 9 एस. सी. सी. 1; केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, (2020) 5 एस. सी. सी. 481; एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और अन्य। बनाम गुजरात राज्य और अन्र, (2017) 8 एस. सी. सी. 357; स्टार इंडस्ट्रीज बनाम कम्र।सीमा शुल्क (आयात), (2016) 2 एस. सी. सी. 362; गिरिधर जी. यादलम बनाम धन कर आयुक्त और एक अन्य, (2015) 17 एस. सी. सी. 664; गोदरेज एंड बॉयस एम. एफ. जी. कं. लिमिटेड बनाम आयकर उपायुक्त और अन्य, (2017) 7 एस. सी. सी. 421।

बी.

5. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए।

सी.

6. वर्तमान अपील का मूल रिट याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाता संख्या 1 से 10 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नाफडे ने जोरदार विरोध किया है।

डी.

6.1 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नाफडे ने जोर देकर कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ता धर्मार्थ शिक्षा संस्थान हैं, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से माना है कि उन्हें बिजली शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

ई.

6.2 यह मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाफडे द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि कहा गया है

सी. डब्ल्यू. एस. के मामले में यह न्यायालय (इंडिया) लिमिटेड। बनाम आयुक्त

एफ.

आयकर, 1994 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 296 (पैरा 10), जहां एक शाब्दिक व्याख्या बेतुका परिणाम की ओर ले जाती है, कानून के शब्दों को विधायिका के इरादे के अनुसार और बेतुकेपन से बचने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

6.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि राज्य द्वारा प्रचार की गई व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह बेतुका और प्रकट अन्याय की ओर ले जाएगा क्योंकि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित स्कूल/कॉलेज आदि 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) (iii) के दायरे में आएंगे, जबकि बॉम्बे ट्रस्ट अधिनियम, 1950 (अब महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के रूप में जाना जाता है) के तहत पंजीकृत वैधानिक विश्वविद्यालय या धर्मार्थ संस्थान द्वारा संचालित, धारा 3 (2) (iii) के दायरे से बाहर होंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह कोई आवश्यक नहीं है

जी.

एच.

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत वैधानिक विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा संचालित स्कूलों/कॉलेजों आदि और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित स्कूलों के बीच अंतर।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की बेतुकी या अन्याय विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है।

6.4 मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाफडे ने आगे कहा कि हमेशा यह धारणा है कि विधायिका का इरादा भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने का नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य की ओर से मामले के अनुसार, 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) (iii) में केवल स्थानीय प्राधिकरण के स्कूल/कॉलेज आदि शामिल हैं और जो वैधानिक विश्वविद्यालय या निजी संस्थानों द्वारा संचालित हैं, वे 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) (iii) के दायरे से बाहर हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इससे भेदभाव और मनमानी होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि शैक्षणिक संस्थान को कौन चलाता है, यह वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए समझदारी से अलग नहीं हो सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ऐसी व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो धारा 3 (2) (iii) संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) (iii) की व्याख्या करते समय, अनुच्छेद 14 पर विचार किया जाना चाहिए और व्याख्या जो अनुच्छेद 14 के अधिदेश के अनुरूप होगी, उसे अपनाया जाना चाहिए।रिलायंस को इस निर्णय पर रखा गया है

बी.

सी.

डी.

बी. आर. उद्यम बनाम के मामले में न्यायालय। यू. पी. और अन्य राज्य,

(1999) 9 एससीसी 700 (पैरा 81)।6.5 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी यह धारणा है कि विधायिका मौजूदा कानून में आमूलचूल परिवर्तन नहीं करती है।बायराम पेस्टनजी के मामले में इस अदालत के फैसले पर रिलायंस को रखा गया है।

ई.

गरीवाला बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य (1992) 1 एस. सी. सी. 31 (पैरा

29-38).यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह विवाद में नहीं है कि 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (iii क) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थानों द्वारा संचालित स्कूलों/कॉलेजों आदि पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाएगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ताओं के स्कूल/कॉलेज आदि 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (iii क) के दायरे में आते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए 2016 के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस निष्कर्ष की गारंटी देता हो कि मूल रिट याचिकाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों पर शुल्क लगाने के लिए कानून में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है।

एफ.

जी.

6.6 निम्नलिखित पहलुओं की ओर इशारा करते हुए, मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए श्री नाफडे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ए के बीच कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हैं।

एच.

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 (1958 अधिनियम) और महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 (2016 अधिनियम)।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निम्नलिखित संस्थाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता हैः- (क) महाराष्ट्र सरकार [धारा 3 (2) (i)]

(ख) निर्दिष्ट गतिविधियों को अंजाम देने वाले स्थानीय प्राधिकारी [धारा 3 (2) (आई. ए.)]

बी.

(ग) निर्दिष्ट गतिविधियों को करने वाला लाइसेंसधारी [धारा 3 (2) (ib)] (d) ट्रामवे कंपनी [धारा 3 (2) (ii)]

(ङ) वाहनों और जहाजों के उपयोग के लिए आपूर्ति करने के उद्देश्य से बिजली पैदा करने वाली संस्था।[धारा 3 (2) (iv)]

सी.

टिप्पणी-1958 के अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 285 के प्रावधानों के कारण केंद्र सरकार पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता था।

6.6.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निम्नलिखित संस्थाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता हैः-

डी.

(क) राज्य सरकार [धारा 3 (2) (i)] (ख) केंद्र सरकार [धारा 3 (2) (ii)] यह एक तरह से बहुत सावधानी है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 285 के कारण केंद्र सरकार पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

ई.

(ग) निर्दिष्ट गतिविधियों को करने वाला अनुज्ञप्तिधारी।[धारा 3 (2) (v)] (d) जनरेटिंग कंपनी [धारा 3 (2) (vi)]

एफ.

(ई) वाहनों और जहाजों के उपयोग के लिए बिजली पैदा करने वाली संस्था [धारा 3 (2) (vii)]

नोट-वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में ट्रामवे कंपनी है।इस प्रकार 2016 के अधिनियम में उन संस्थाओं के संबंध में कोई बदलाव नहीं किया गया है जो शुल्क लगाने के अधीन नहीं हैं।

जी.

6.6.2 इसके अलावा, 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत निम्नलिखित गतिविधियों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता हैः-

(क) स्थानीय प्राधिकरण या वैधानिक विश्वविद्यालय, या बॉम्बे ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान।[धारा 3 (2) (ia), 3 (2) (iii) और 3 (2) (iiia)]

(ख) अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक जल कार्यों, सार्वजनिक सीवर या नालियों की प्रणाली के लिए बिजली का उपयोग करने वाले स्थानीय प्राधिकरण।[धारा 3 (2) (ia)]

(ग) किसी भी उत्पादन, संचारण और वितरण प्रणाली के निर्माण, रखरखाव या संचालन के उद्देश्य से लाइसेंसधारी द्वारा बिजली का उपयोग।[धारा 3 (2) (ib)]

बी.

(घ) वाहनों या जहाजों के उपयोग के लिए इसकी आपूर्ति के उद्देश्य से बिजली का उत्पादन। [धारा 3 (2) (iv)]

(ई) जहाँ ऊर्जा 100 वोल्ट से अधिक नहीं वोल्टेज पर उत्पन्न होती है।[धारा 3 (2) (v)]

सी.

6.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1958 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम दोनों के तहत, धारा 3 (2) के तहत निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा निवास के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले परिसर शुल्क के अधिरोपण के अधीन हैं।

6.8 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जिन संस्थाओं पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है, वे सवार के लिए एक ही विषय बने हुए हैं कि यदि परिसर का उपयोग निवास के लिए किया जाता है, तो शुल्क लगाया जा सकता है।

डी.

6.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकमात्र सवाल यह है कि क्या स्थानीय अधिकारियों, वैधानिक विश्वविद्यालय या बॉम्बे ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत एक धर्मार्थ संस्थान द्वारा की जाने वाली शैक्षिक गतिविधियाँ 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) के दायरे में हैं?

ई.

6.10 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह विवाद में नहीं है कि 1958 के अधिनियम के तहत, स्थानीय अधिकारियों, वैधानिक विश्वविद्यालय या धर्मार्थ संस्थानों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान कर्तव्य के अधिरोपण के अधीन नहीं थे।अन्य गतिविधियाँ जो 1958 के अधिनियम

और 2016 के अधिनियम दोनों के तहत बिजली शुल्क लगाने के अधीन नहीं हैं, वे इस प्रकार हैं:-

एफ.

(क) स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियाँ [1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (आई. ए.) 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) (आई. आई.) देखें।

(बी) लाइसेंसधारी द्वारा किसी भी उत्पादन, संचरण और अविश्वास प्रणाली के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए बिजली का उत्पादन।[1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (ib) और 2016 के अधिनियम की धारा 3 (2) (v) देखें।

जी.

(ग) वाहनों या जहाजों के उपयोग के लिए आपूर्ति के उद्देश्य से बिजली का उत्पादन [1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (iv) और 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) देखें।

एच.

171

महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री विले पार्ले केल्वानी मंडल [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

(घ) 100 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज पर बिजली का उत्पादन [1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (v) और 2016 के अधिनियम की धारा 3 (2) (viii) देखें।

6.11 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार जो संस्थाएं शुल्क के अधिरोपण के अधीन नहीं हैं, वे 1958 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम दोनों के तहत समान हैं और 1958 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम दोनों के तहत ऊपर उल्लिखित अन्य गतिविधियाँ समान हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, यह स्वीकार करना मुश्किल है कि वैधानिक विश्वविद्यालय या धर्मार्थ संस्थानों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर 2016 के अधिनियम द्वारा शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि या तो यह कैसस ओमिसस का मामला है या 2016 अधिनियम के खराब मसौदे का मामला है।

बी.

सी.

6.12 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1958 का अधिनियम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा संचालित शैक्षिक गतिविधियों को कर्तव्य अधिरोपण से बाहर रखना विधायिका की नीति थी।2016 के अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात का संकेत दे

कि शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।कुछ गतिविधियाँ जो 1958 के अधिनियम और 2016 के अधिनियम दोनों के तहत शुल्क लगाने के अधीन नहीं हैं, वे व्यावसायिक प्रकृति की हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ऐसा है तो विधायिका शैक्षिक गतिविधियों के संबंध में अपनी पिछली नीति से क्यों अलग होगी क्योंकि शिक्षा को बढ़ावा देना जनहित में है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुल्क लगाने के अधीन नहीं हैं तो शिक्षा प्रदान करने की गैर-वाणिज्यिक गतिविधि पर शुल्क लगाना विधायिका की ओर से अनुचित होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि विधायिका की नीति को उचित माना जाता है ताकि यह अनुचितता या मनमानेपन के गलत सिद्धांत में न आए।

डी.

ई.

6.13 अंत में, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री नाफडे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अंतिम पूर्ववर्ती के सिद्धांत को भी लागू किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 3 (2) के पहले भाग में ऐसी गतिविधियों को करने वाली संस्था की परवाह किए बिना सभी शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) में उपयोग किए गए निम्नलिखित शब्द "विद्यालय के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में" हैं।छात्र छात्रावास 'और धारा 3 (2) के दूसरे भाग में स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2016 के अधिनियम में, "महाराष्ट्र के किसी भी स्थानीय bodies.State द्वारा संचालित" अभिव्यक्ति शैक्षिक गतिविधियों के लिए योग्य नहीं है, लेकिन यह "अस्पताल, नर्सिंग होम" जैसी गतिविधियों के लिए योग्य है।प्रणाली का एक हिस्सा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि अंतिम पूर्वज का सिद्धांत है

एफ.

जी.

एच.

वर्तमान मामले पर लागू, एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि "किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित" अभिव्यक्ति धारा 3 (2) के पहले भाग में निर्दिष्ट शैक्षिक गतिविधियों को योग्य नहीं बनाती है, लेकिन दूसरे भाग यानी अन्य गतिविधियों को योग्य बनाती है।

6.14 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विद्युत शुल्क अधिनियम एक कर कानून है।इसलिए, इसका कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए और यदि कोई अस्पष्टता है तो उसे निर्धारिती के पक्ष में हल किया जाना चाहिए।विधायिका धारा 3 (2) (iii) में निहित एक प्रावधान में सभी शैक्षिक गतिविधियों को शामिल कर रही है, चाहे वह कोई भी इकाई हो जो गतिविधियों को चलाती है। ऐसा करते समय प्रारूपण में अस्पष्टता पैदा हो गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अस्पष्टता का लाभ राजस्व के बजाय निर्धारिती के पक्ष में होना चाहिए।

बी.

सी.

6.15 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

7. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

डी.

8. इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या मूल रिट याचिकाकर्ता जो सार्वजनिक न्यास अधिनियम (महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950) के प्रावधानों के तहत पंजीकृत धर्मार्थ शिक्षा संस्थान हैं, वे महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिजली शुल्क के भुगतान से छूट के हकदार हैं?

ई.

9. उपरोक्त प्रश्न/मुद्दे का उत्तर देते समय, कर कानून और छूट अधिसूचनाओं में वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और/या विचार करने के बारे में कानून का पहले विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

9.1 दिलीप कुमार एंड कंपनी (ऊपर) के मामले में, पाँच-न्यायाधीश

एफ.

इस न्यायालय की पीठ ने निर्णय दिया है कि प्रत्येक कर कानून में-सीमा स्तर पर प्रभार, गणना और छूट के प्रावधानों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए।शुल्क प्रावधान के मामले में अस्पष्टता के मामले में, लाभ अनिवार्य रूप से विषय/निर्धारिती के पक्ष में जाना चाहिए।इसका मतलब है कि कर के विषय, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और जिस दर पर कर लगाया जाना है, उसकी व्याख्या और इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।यदि इन तीन घटकों में से किसी में भी कोई अस्पष्टता है, तो तब तक कोई कर नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि विधायिका द्वारा अस्पष्टता या दोष को हटा नहीं दिया जाता है।

जी.

दिलीप कुमार एंड कंपनी में पृष्ठ 53 से 55]।हालांकि, मामले में

छूट अधिसूचना या खंड, इसकी अनुमति पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा के आधार पर दी जानी चाहिए, और छूट आवश्यक निहितार्थ से या शब्दों ए से अलग निर्माण पर एकत्र नहीं की जा सकती है।

एच.

173

महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री विले पार्ले केल्वानी मंडल [एम. आर. शाह, जे.] ए.

छूट देने के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में उपयोग किया जाता है [देखें

हंसराज गोरधनदास बनाम। एच**.** एच**.** दवे**,** सहायक कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क**,** सूरत और अन्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1970** एस**.** सी**. 755]**इसके अलावा इसके लिए है

निर्धारिती को छूट खंड/अधिसूचना का निर्माण करके यह दिखाना होगा कि यह छूट के दायरे में आता है।निर्धारिती/नागरिक छूट के लाभ का दावा करने के लिए अस्पष्टता या संदेह पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।इसका कारण प्रयोज्यता के स्तर पर दायरे को व्यापक बनाना नहीं है। हालाँकि, एक बार बाधा पार हो जाने के बाद, अधिसूचना को उदारता से बनाया जाता है [देखें]

बी.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर**,** बॉम्बे**-I** और ए**.** एन**.** आर**.** बनामपारले एक्सपोर्ट्स **(**पी**)** लिमिटेड**, (1989) 1** एस**.** सी**.** सी**. 345** और भारत संघ और अन्य बनामवुड पेपर्स लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**., (1998) 4** एस**.** सी**.** सी**. 256]**।इस प्रकार**,** अंतर हो सकता है

उन मूल आवश्यकताओं के बीच किया गया है जिनके लिए सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है-जिसका पालन न करने से निर्धारिती छूट का दावा करने के लिए अयोग्य हो जाएगा, और प्रक्रियात्मक या अनुपालन प्रावधान जिसकी उदारता से व्याख्या की जा सकती है [दिलीप कुमार में पैराग्राफ 64 से 65 देखें और

सी.

कंपनी]।9.2 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड एंड ए. एन. आर. अनुदान से संबंधित मामला था।

डी.

धारा 3 (2) (vii) (ए) के तहत 1958 के अधिनियम के तहत बिजली शुल्क के भुगतान से छूट। अदालत ने छूट की प्रकृति में अधिसूचना की व्याख्या पर कई फैसलों पर भरोसा किया, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि छूट देने के लिए वैधानिक शर्तों के साथ न तो छेड़छाड़ की

जा सकती है और न ही उन्हें कम किया जा सकता है।छूट अधिसूचना की व्याख्या उनके अपने शब्दों से की जानी चाहिए, और जहां निर्माण के संबंध में अधिसूचना के शब्द स्पष्ट हैं, तो इसे लागू किया जाना चाहिए।यदि अधिसूचना के शब्दों पर लाभ उपलब्ध नहीं है, तो अदालत अधिसूचना के शब्दों को फैलाकर या अधिसूचना में शब्द जोड़कर लाभ नहीं देगी।छूट अधिसूचना की व्याख्या करने के लिए किसी को उसके स्पष्ट, स्पष्ट शब्दों के अनुसार जाना चाहिए।इन सिद्धांतों को एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और ए. एन. आर. में 1958 के अधिनियम की धारा 3 (2) (vii) (ए) के लाभ से इनकार करने के लिए लागू किया गया था, क्योंकि किसी अन्य उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से ऊर्जा उत्पादन की शर्त पूरी नहीं की गई थी।

ई.

एफ.

9.3 स्टार इंडस्ट्रीज के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि छूट अधिसूचना के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना आवश्यक है, और एक बार जब यह पाया जाता है कि आवेदक इसे संतुष्ट करता है, तो छूट अधिसूचना का उदारता से अर्थ लगाया जाना चाहिए।संदर्भ दिया गया था कि

जी.

निर्णय नोवोपैन इंडिया लिमिटेड बनामसी. सी. ई. और सीमा शुल्क, 1994 सप्लीमेंट (3)

हंसराज गोरधनदास में एस**.** सी**.** सी**. 606** और संविधान पीठ का निर्णय

बनाम। एच**.** एच**.** दवे**,** केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर**,**

एच.

सूरत और अन्य **(**ऊपर**),** कौन से निर्णयों को नोट और स्पष्ट किया गया है

दिलीप कुमार एंड कंपनी में इस अदालत द्वारा।इसलिए छूट अधिसूचना के संदर्भ में इरादे के लिए कोई नई गुंजाइश नहीं है।शब्दों के स्पष्ट अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए।छूट का दावा पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा द्वारा नियंत्रित होता है, जिसका अर्थ है छूट खंड की साधारण शर्तों द्वारा।एक निर्धारिती छूट के लाभ का दावा इस सिद्धांत पर नहीं कर सकता है कि अस्पष्टता के मामले में एक कर लगाने वाली प्रतिमा को उसके पक्ष में माना जाना चाहिए, क्योंकि एक अपवाद या छूट के प्रावधान को सख्ती से समझा जाना चाहिए।

बी.

9.4 गिरिधर जी. यादलम (उपरोक्त) के मामले में, यह देखा गया है और माना गया है कि कर कानून में, यह प्रावधान की सरल भाषा है जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां भाषा सरल है और एक निश्चित अर्थ में सक्षम है।यह भी देखा गया है कि छूट के प्रावधान की सख्त व्याख्या की जानी है।यह देखा गया है कि उद्देश्यपूर्ण व्याख्या केवल तभी दी जा सकती है जब वैधानिक प्रावधान की भाषा में कुछ अस्पष्टता हो या यह बेतुके परिणामों की ओर ले जाए।पैराग्राफ 16 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः-

सी.

डी.

"16. हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रश्नगत प्रावधान की सरल भाषा में, उक्त खंड का लाभ केवल उस भवन के संबंध में लागू होगा जिसका निर्माण किया जा चुका है।"निर्माण किया गया है" अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से इसके दायरे में एक ऐसी इमारत को शामिल नहीं कर सकती है जो पूरी तरह से निर्मित नहीं है या निर्माण की प्रक्रिया में नहीं है।खंड (ii) के प्रारंभिक शब्द भी इस संबंध में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां यह कहा गया है कि "किसी भी भवन द्वारा कब्जा की गई भूमि"।भूमि को उस इमारत द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है जहाँ यह अभी भी निर्माणाधीन है।यदि श्री जैन के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक निर्धारिती उक्त खंड के लाभ का हकदार बन जाएगा, उसी क्षण, निर्माण शुरू होने के साथ, जिस क्षण एक ईंट रखी जाती है।ऐसी स्थिति में यह कहना बहुत दूर की बात होगी कि उस जमीन पर उस इमारत का कब्जा है जिसका उस पर निर्माण किया गया है।यहां तक कि श्री जैन ने भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब भवन का निर्माण अभी भी चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है, तो शाब्दिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि भवन का निर्माण किया गया है।यही कारण है कि वे चाहते थे कि हम इस प्रावधान का लाभ ऐसे मामलों में भी अभिव्यक्ति को पढ़कर दें जिसका अर्थ है "निर्माण किया जा रहा है"।उनका निवेदन था कि जिस क्षण निर्माण शुरू होता है, शहरी भूमि का "उत्पादक उपयोग" किया जाता है और यह भूमि को धन कर की छूट का हकदार बनाता है।ए देने का यह तर्क

ई.

एफ.

जी.

एच.

तथाकथित उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को एक से अधिक कारणों से अस्वीकार करना पड़ता है।ये हैंः

(i) कर कानून में, यह प्रावधान की सरल भाषा है जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां भाषा सरल है और एक निश्चित अर्थ में सक्षम है।

बी.

((ii) छूट के प्रावधान की सख्त व्याख्या की जानी चाहिए, जो कि वर्तमान स्थिति है।

((iii) उद्देश्यपूर्ण व्याख्या केवल तभी दी जा सकती है जब वैधानिक प्रावधान की भाषा में कुछ अस्पष्टता हो या यह बेतुके परिणामों की ओर ले जाए।हम वर्तमान मामले में ऐसा नहीं पाते हैं।"

सी.

9.5 गोदरेज एंड बॉयस एम. एफ. जी. के मामले में। कं. लिमिटेड (ऊपर), यह है

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया कि जहां कानून के शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, वहां शाब्दिक दृष्टिकोण के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है।यह आगे देखा गया है कि क़ानून की व्याख्या करना न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य और दायित्व है।यह आगे देखा गया है कि एक क़ानून में शब्दों को पढ़ना निर्माण के सभी नियमों के विपरीत है जिसे विधायिका ने जानबूझकर शामिल नहीं किया है।

डी.

10. उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए मामले के तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या 2016 के अधिनियम के लागू होने के बाद भी रिट याचिकाकर्ता-लोक न्यास अधिनियम और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत धर्मार्थ शिक्षा संस्थान बिजली शुल्क के भुगतान से छूट के हकदार हैं?

ई.

एफ.

11. उपरोक्त उद्देश्य के लिए, 2016 के पूर्व अधिनियम और 2016 के बाद के अधिनियम के तहत प्रभारित धाराओं/छूट प्रावधानों को संदर्भित किया जाना आवश्यक है।महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 1958 की धारा 3, जो महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 के लागू होने से पहले लागू थी, हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैः- "3. (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर एक शुल्क (जिसे इसके बाद "बिजली शुल्क" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) लगाया जाएगा और खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों (उपभोक्ता को आपूर्ति से पहले एक लाइसेंसधारी द्वारा संचरण और परिवर्तन में होने वाली ऊर्जा की हानि को छोड़कर) पर भुगतान किया जाएगा।

जी.

(2) (क) खपत की जाने वाली ऊर्जा की 3 इकाइयों पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाएगा, -

((i) महाराष्ट्र सरकार द्वारा (आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों को छोड़कर);

((i क) किसी भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर समिति, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, जिला परिषद या ग्राम पंचायत द्वारा या उसके संबंध में, जो राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू किसी कानून के तहत गठित की गई है, या उसके उद्देश्य के लिए या उसके संबंध में [शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, औषधालय, क्लिनिक, सार्वजनिक सड़क प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक जल कार्य और सार्वजनिक सीवर या नालियों की प्रणाली (आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों को छोड़कर);

बी.

सी.

((i) किसी भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी की किसी भी उत्पादन, संचरण और वितरण प्रणाली के निर्माण, रखरखाव या संचालन से सीधे जुड़े उद्देश्यों के लिए;

डी.

((ii) एक ट्रामवे कंपनी द्वारा, आवासीय और कार्यालय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर के संबंध में छोड़कर;

((ग) शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण (आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों को छोड़कर) के उद्देश्य से या उनके संबंध में सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी सांविधिक विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा या उनके संबंध में;

ई.

(iiia) शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज के उद्देश्य से या उनके संबंध में (आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसरों को छोड़कर) बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान द्वारा या उनके संबंध में;

एफ.

इसके बाद महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 लागू किया गया है, जो 08.08.2016 से लागू हुआ है।2016 अधिनियम की धारा 3, जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः-

जी.

“3. (1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार को उपभोग शुल्क या खपत की गई ऊर्जा की इकाइयों पर, समय-समय पर आयोग की प्रशुल्क अनुसूची के अनुसार वर्गीकृत दरों पर एक शुल्क (जिसे इसके बाद "विद्युत शुल्क" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) लगाया और भुगतान किया जाएगा।

एच.

उस उपभोक्ता द्वारा परिसर का उपयोग, जिसके नाम पर ऊर्जा की आपूर्ति लाइसेंसधारी द्वारा की जाती है, या एक उपभोक्ता जो लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा के अलावा किसी अन्य स्वतंत्र स्रोत से उत्पादित ऊर्जा का उपभोग कर रहा है, अनुसूची में निर्दिष्ट अपने स्वयं के उपयोग के लिए, जो निम्नलिखित वर्गीकरणों पर आधारित हैंः––

(क) उपभोग शुल्क जहाँ लाइसेंसधारी द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है;

बी.

स्पष्टीकरण।–– इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, "उस उपभोक्ता द्वारा परिसर का उपयोग जिसके नाम पर ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है" का अर्थ है उस उद्देश्य का आधार जिसके लिए उपभोक्ता के नाम पर आपूर्ति जारी की गई है और लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति के बिंदु पर स्थापित मीटर द्वारा मापा गया है, जिस पर खपत शुल्क शुल्क के अनुसार बिल किया जाता है, हालांकि, विशाल औद्योगिक पार्कों, वाणिज्यिक परिसरों या मॉल में जहां बिजली की आपूर्ति एक बिंदु पर या थोक उपभोक्ताओं के रूप में की जाती है और आगे इसे परिसर के मालिक द्वारा पट्टे या किराए पर या अन्यथा क्षेत्र पर कब्जा करने वाले अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रदान की गई उपयोगिता सेवाओं में से एक के रूप में फिर से वितरित किया जाता है, जिसका उपयोगकर्ता की ओर से बिजली के उपयोग का उद्देश्य स्पष्ट रूप से भिन्न हो सकता है।

सी.

डी.

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा और उसके माध्यम से उत्पादित ऊर्जा की इकाइयाँ -

ई.

((i) बंदी पीढ़ी;

((ii) सह-उत्पादन;

(iii) तैयार उत्पादन; (iv) नवीकरणीय ऊर्जा; या

एफ.

(v) स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आई. पी. पी.);

(ग) खपत की गई ऊर्जा की इकाइयाँ जो खंड (ए) और (बी), यानी खुली पहुंच या अन्य स्रोतों के अंतर्गत नहीं आती हैं।

(2) बिजली शुल्क खपत शुल्क या खपत की गई ऊर्जा पर नहीं लगाया जाएगा,--

जी.

((i) सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा; (ii) सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा;

((ग) शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले विद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान के प्रयोजनों के लिए या उनके संबंध में, छात्र, छात्रावास,

एच.

अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक जल कार्य, सीवरेज सिस्टम, सार्वजनिक उद्यान सहित चिड़ियाघर, सार्वजनिक संग्रहालय, प्रशासनिक कार्यालय, जैसा भी मामला हो, महाराष्ट्र राज्य में किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्रणाली का एक हिस्सा;

बी.

((iv) सरकारी छात्रावासों द्वारा;

(v) किसी भी लाइसेंसधारी द्वारा, या बिजली अधिनियम के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी भी संचारण और वितरण प्रणाली के निर्माण, रखरखाव, संचालन से सीधे जुड़े उद्देश्यों के लिए, जिसमें उसमें हुए नुकसान भी शामिल हैं; "11.1 2016 अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, 2016 अधिनियम लागू होने पर, महाराष्ट्र बिजली शुल्क अधिनियम, 1958 को 2016 अधिनियम की धारा 16 में उल्लिखित घटनाओं के अधीन निरस्त कर दिया गया। 2016 अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार बिजली शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करने वाले विशिष्ट प्रावधानों को देखते हुए धारा 16 के परंतुक में उल्लिखित किसी भी घटना को आकर्षित नहीं किया जाएगा और/या मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जाएगा। इसलिए, आई. डी. 1 पर और उसके बाद बिजली शुल्क के भुगतान से छूट के उद्देश्य से, 2016 अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) लागू करनी होगी और लागू होगी।

सी.

डी.

ई.

11.2 1958 के अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार, बिजली शुल्क उपभोग शुल्क या ऊर्जा की इकाइयों पर या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ संस्थान के संबंध में, शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज के उद्देश्य से या उनके संबंध में (आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर के संबंध में छोड़कर) [धारा 3 (2) (iiia)] नहीं लगाया जा सकता था।इसलिए, 1958 के अधिनियम के तहत, शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज के संबंध में, इस उद्देश्य के लिए धर्मार्थ संस्थानों द्वारा या उनके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा की इकाइयों पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता था।यहां तक कि धारा 3 (2) (आई. ए.) के अनुसार, किसी भी नगर निगम, नगरपालिका, नगर समिति, नगर समिति, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, जिला परिषद या राज्य में किसी भी कानून के तहत गठित ग्राम पंचायत द्वारा या उनके संबंध में खपत शुल्क या ऊर्जा की खपत की इकाइयों पर बिजली शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

एफ.

जी.

एच.

179

महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री विले पार्ले केल्वानी मंडल [एम. आर. शाह, जे.] ए.

शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज, अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइटिंग, सार्वजनिक जल कार्यों और सार्वजनिक सीवर या नालियों की प्रणाली (आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर के संबंध में छोड़कर) के उद्देश्य या उसके संबंध में।

बी.

11.3 हालाँकि, 2016 के अधिनियम के तहत भौतिक परिवर्तन हैं। 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार, सार्वजनिक उपक्रम भी बिजली शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।धारा 3 (2) (iii) के अनुसार, बिजली शुल्क शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज या संस्थान, छात्रों, छात्रावासों, अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों, क्लीनिकों, सार्वजनिक सड़कों पर रोशनी, सार्वजनिक जल कार्यों, सीवरेज प्रणालियों, चिड़ियाघरों, सार्वजनिक संग्रहालयों, प्रशासनिक कार्यालयों सहित सार्वजनिक उद्यानों या महाराष्ट्र राज्य में किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्रणाली के एक हिस्से के उद्देश्यों के लिए या उनके संबंध में बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसलिए, धारा 3 (2) (IIIA), जो 1958 के अधिनियम में थी, अब 2016 के अधिनियम की धारा 3 (2) में स्पष्ट रूप से और जानबूझकर अनुपस्थित है।

सी.

डी.

11.4 धारा 3 (2) (iii) की सही व्याख्या पर, 2016 अधिनियम के तहत, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल या कॉलेज या संस्थान, छात्र, छात्रावासों के उद्देश्यों के लिए या उनके संबंध में शुल्क या ऊर्जा की खपत पर बिजली शुल्क।अकेले किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा संचालित बिजली शुल्क से छूट दी जाएगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी बिजली शुल्क के भुगतान से विशेष रूप से बाहर रखा गया है।हालाँकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिजली अधिनियम के भुगतान से छूट नहीं है। इसलिए, 2016 अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत, शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाले धर्मार्थ संस्थानों को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है, जिसे विशेष रूप से 1958 अधिनियम की धारा 3 (2) (IIIA) के तहत छूट दी गई थी। धारा 3 (2) में उपयोग की गई भाषा और शब्द सरल और सरल हैं और केवल एक निश्चित अर्थ रखने में सक्षम हैं कि जहां तक धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों का संबंध है, 2016 के अधिनियम के तहत बिजली शुल्क लगाने से कोई छूट नहीं दी गई है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, जहां शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हैं, वहां शाब्दिक दृष्टिकोण के अलावा व्याख्या के सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया जा सकता है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, छूट प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या करने की आवश्यकता है और जब छूट प्रावधान में उपयोग की जाने वाली भाषा सरल, स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो इसे सख्ती से और शाब्दिक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

एच.

2016 के अधिनियम के तहत, स्कूलों या कॉलेजों को चलाने वाले धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों को विशेष रूप से छूट खंड/छूट प्रावधान-धारा 3 (2) से बाहर रखा गया है।

12. यदि मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ स्वीकार की जाती हैं कि धारा 3 (2) (iii) के अनुसार, शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सभी स्कूलों/कॉलेजों या संस्थानों के संबंध में, बिजली शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो उस स्थिति में यह बेतुका परिणाम देगा।उस स्थिति में, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, औषधालय और क्लीनिक, जो लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं, भी बिजली शुल्क से छूट का दावा करेंगे।2016 के अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है कि बिजली शुल्क (i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा खपत शुल्क या ऊर्जा की खपत पर; (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर केंद्र सरकार द्वारा और (iii) लागू नहीं किया जाएगा।महाराष्ट्र राज्य में तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत गठित स्थानीय निकायों द्वारा संचालित।राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय निकायों और सरकारी छात्रावासों के अलावा बिजली शुल्क के भुगतान से कोई छूट नहीं दी गई है।

बी.

सी.

डी.

13. ऊपर अभिलिखित उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अंतिम पूर्वजों के सिद्धांत को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है जैसा कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाफडे द्वारा प्रचार किया गया था।

ई.

14. उपरोक्त मूल रिट याचिकाकर्ताओं के विचार में-सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और/या महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत धर्मार्थ शिक्षा संस्थान, महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम, 2016 के लागू होने की तारीख से या उसके बाद बिजली

शुल्क के लेवी/भुगतान से किसी भी छूट के हकदार नहीं हैं।इसलिए, उच्च न्यायालय ने मूल रिट याचिकाकर्ताओं-उत्तरदाता संख्या 1 से 10 पर लगाए गए बिजली शुल्क के शुल्क को रद्द करने में एक गंभीर त्रुटि की है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश कानून और तथ्यों दोनों पर अस्थिर हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। 2018 के डब्ल्यू. पी. No.2961 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.02.2019 के विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और यह माना जाता है कि मूल रिट याचिकाकर्ता-उत्तरदाता ए

एच.

181

महाराष्ट्र राज्य बनाम श्री विले पार्ले केल्वानी मंडल [एम. आर. शाह, जे.]

इसमें संख्या 1 से 10 तक-सोसायटी पंजीकरण अधिनियम और महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों को उपभोग शुल्क या खपत की जाने वाली ऊर्जा पर लगाए गए बिजली शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है, यहां तक कि ऐसे धर्मार्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा शैक्षणिक या तकनीकी विषयों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्कूल/कॉलेज के उद्देश्य या उनके संबंध में उपयोग की जाने वाली संपत्तियों के संबंध में भी। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.